फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :— **श्री देवकिशन** | विपक्षी :— **श्री नारायण**

किस्म मुकदमा :— 212 रा.का.अधिनियम | पत्रावली संख्या :— 10/21

जीसीएमएस नम्बर :— 2021/30

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 08.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा.दी. पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित वारिसान के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना बताकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः कोई आपत्ति नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 4 के वारिसान 4/1 से 4/3 को रेकार्ड पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा बहस टी.आई. सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी.आई सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 650 पर दर्ज आराजी नम्बर 3468, 3469, 3470 किता 3 कुल रकबा 1.7482 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 3 के स्वयं, प्रार्थी संख्या 4 से 6 व विपक्षी संख्या 1 से 3 के मौरूस के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रहे हैं परन्तु विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। इसलिए यदि मात्र विपक्षीगण को ही पाबंद [illegible] ता है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रति[illegible] [illegible] बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को पाबंद नहीं [illegible] जाता है एवं उभय पक्षकारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:01 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कर मौका परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक का कब्जा माना जाता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 650 पर दर्ज आराजी नम्बर 3468, 3469, 3470 किता 3 कुल रकबा 1.7482 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:01 IST
Reason: SelfAttested